मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/ग/पदो./237/766 भोपाल दिनांक 09/07/2026

// आदेश //

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 08.07.2026 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित कार्यपालन यंत्री को अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप समिति की अनुशंसा के आधार पर स्थानापन्न रूप से अधीक्षण यंत्री के पद पर सातवां वेतनमान (79900-211700) लेबल-14 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल
1	श्री मधुकर पंवार	कार्यपालन यंत्री	तकनीकी संभाग उज्जैन
2	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	तकनीकी संभाग खरगोन

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

3. उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी।

4. समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।

5. पदोन्नत शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

(सविता झानिया IAS)
संयुक्त संचालक(स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/ग/पदो./237/767 भोपाल दिनांक 09/07/2026

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री/ उप संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)
4. कार्यपालन यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)
5. श्री -- कार्यपालन यंत्री की ओर पालनार्थ। नवीन पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/लेखाशाखा/गोपनीय चरित्रावली/कम्प्यूटर शाखा/ विभागीय जांच/शिकायत/नियमन/निरीक्षण/नवीन मंडी स्थापना/प्रांगण/निर्माण/ मंडी निर्माण/.................. शाखा।

संयुक्त संचालक(स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल